भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2819 का उत्तर

धुले-नरदाना रेलवे परियोजना में प्रसंस्कृत खनिजों की मात्रा

2819. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धुले (बोरविहिर)-नरदाना नई बीजी रेल लाइन परियोजना में खुदाई, खरीदी गई और उपयोग किए गए मिट्टी, मुरुम, पत्थर, रेत, गिट्टी और अन्य लघु खनिजों की मात्रा का सत्यापन किया है;

(ख) क्या ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और लागू महाराष्ट्र लघु खनिज नियमों के अंतर्गत वैध उत्खनन परमिट, स्रोत अनुमोदन, पारगमन पास, रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंशदान, अन्य सांविधिक अनुपालनों का प्रमाण प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी मात्रा और सांविधिक भुगतानों का जिला खनन अधिकारी, धुले के अभिलेखों के साथ मिलान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का संविदा के अंतर्गत अंतिम भुगतान जारी करने से पहले ऐसे सांविधिक अनुपालन का सत्यापन सुनिश्चित करने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) धुले (बोरविहीर) - नरडाणा नई बड़ी लाइन परियोजना (51 किमी) में खुदाई, प्रापण की गई और उपयोग में लाई गई मिट्टी, मुरुम, पत्थर, रेत, गिट्टी और अन्य लघु खनिज पदार्थों की मात्रा को मापा जाता है, विधिवत जांच की जाती है और करार के अनुसार भुगतान

किया जाता है। जैसा कि करार में उल्लेख किया गया है, वैध उत्खनन परमिट और अन्य सांविधिक अनुपालन संबंधित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

रॉयल्टी के भुगतान सहित सभी सांविधिक प्रभार का भुगतान करना संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी है। बहरहाल, यदि संविदा करार को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा रेलवे के संज्ञान में कोई विसंगति लाई जाती है, तो तदनुसार कटौती सहित उचित कार्रवाई की जाती है।

धुले (बोरविहीर) - नरडाणा नई लाइन परियोजना (51 कि.मी.) को 1,251 करोड़ रु.की लागत से स्वीकृती प्रदान की गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	धुले (बोरविहीर) - नरडाणा नई लाइन (51 कि.मी.)	मार्च, 2026 तक 367 करोड़ रु. का व्यय उपगत किया गया है और वर्ष 2026-27 के लिए 120 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन स्थानीय किसानों द्वारा अधिक मुआवजे की मांग के कारण निर्माण कार्य में स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 40 में से 22 छोटे पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 46 में से 27 निचले सड़क पुल के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। भूमि संबंधी कार्य, निर्माण कार्य, बड़े पुलों, ऊपरी सड़क पुलों और स्टेशन भवनों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ

- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति**
- **परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं:

- **निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि।**
- **फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन।**
- **विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की कड़ी निगरानी।**
- **परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान हेतु भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना।**
